न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

पत्रावली संख्या : 274/12 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री मोहनलाल पिता जीतमल दायमा निवासी मेडता तह. मावली।

..............प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती गायत्री देवी पत्नी विजय कुमार दायमा निवासी मेडता तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली।
3. श्रीमती कंकुदेवी पत्नी मोहनलाल दायमा निवासी मेडता तह. मावली।

...................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री अजय सिंह हाडा, अधिवक्ता विपक्षी सं. 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी.

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 18.12.2019

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी उपरोक्त अंकित पते पर निवास करता हैं। प्रार्थी के जायन्दा पुत्र थे जिसमें से दो पुत्रों श्री लक्ष्मीनारायण तथा श्री विजय कुमार का कालान्तर में देहान्त हो गया तथा वर्तमान में प्रार्थी का एक पुत्र भगवती प्रसाद जीवित हैं। राजस्व ग्राम खेमली पटवार हल्का खेमली में खाता सं. 145/170 की कृषि भूमि आराजी सं. 1675 रकबा 0.12 हें. आराजी सं. 1682 रकबा 0.10, आराजी सं. 1683 रकबा 0.05 हें. तथा आराजी सं. 1684 रकबा 1.05 हें. तथा आराजी सं. 1685 रकबा 0.15 हें. कुल किता 5 रकबा 3. 07 हें. स्थित हैं। उक्त भूमि प्रार्थी ने अपने पुत्र विजय कुमार पिता मोहनलाल के नाम से दो पंजीकृत विक्रय विलेखों के माध्यम से दिनांक 23.02.2011 एवं 07.03.2011 को क्रय की थी। प्रार्थी के पास अपनी जीवन भर की कमाई में से कुछ राशि बचत के रूप में पडी हुई थी तो उसने अपने पुत्र विजय कुमार को यह राशि जरिये चैक्स दी तथा उसी के अनुरूप यह भूमि विजय कुमार के नाम से क्रय हुई किन्तु इस भूमि का सम्पूर्ण प्रतिफल प्रार्थी ने अदा किया तथा यह भूमि विक्रय की तारीख से आज दिनांक तक प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य में चली आ रही है तथा प्रार्थी ही इस कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर रहा हैं। यह भूमि वर्तमान में जिसमें से आराजी सं. 1675 का 334/402

भाग विजय के नाम तथा आराजी सं. 1682, 1683, 1684, 1685 कुल रकबा 2.15 प्रार्थी के पुत्र विजय कुमार के नाम दर्ज हैं।

2. यह कि कालान्तर में विजय कुमार का देहान्त हो गया तथा विजय कुमार का चूंकि इस भूमि में किसी प्रकार का हित व आधिपत्य क्रेता की हैसियत से नहीं था तथा प्रार्थी ने ही इस भूमि के प्रतिफल का भुगतान किया था इसलिए विजय कुमार ने अपने जीवनकाल में ही इस समस्त सम्पति का हित प्रार्थी में निहित कर दिया था जिस कारण से प्रार्थी विजय कुमार के देहान्त के पश्चात् इस भूमि का एक मात्र स्वामी है तथा आधिपत्यधारी है एवं आवश्यकता के अनुरूप इस भूमि का उपयोग उपभोग करने हेतु स्वतंत्र है तथा अन्य किसी को इस सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं हैं।

3. यह कि उक्त भूमि प्रार्थी की है तथा उसकी स्वअर्जित सम्पति हैं। विपक्षी सं. 1 इस भूमि को अपने आपको विजय कुमार का एक मात्र उत्तराधिकारी बताते हुए विक्रय अथवा हस्तान्तरित करने पर आमादा थी। विजय कुमार के जीवनकाल में ही विपक्षी ने कई बार इस भूमि को विक्रय करने हेतु षडयंत्र रचा किन्तु स्वर्गीय विजय कुमार ने इस भूमि को अपने पिता की सम्पति बताते हुए किसी प्रकार का विक्रय संव्यवहार करने से इन्कार कर दिया जिससे विपक्षी खफा थी। विजय कुमार के निधन के दस दिन के पश्चात् ही विपक्षी प्रार्थी के घर से चली गयी तथा गर्भस्थ शिशुओं की हत्या कर दी तथा प्रार्थी के वंश का समूल नाश कर दिया तथा गर्भपात करवा दिया तथा कहने लगी कि मेरा तुमसे कोई नाता नहीं हैं। मैं विजय के नाते आई थी तथा विजय के जाने के बाद उसके वंश को मैं आगे नहीं बढाउंगी तथा अन्यत्र नाते जाउंगी तथा इसी अग्रेषण में विपक्षी सं. 1 ने प्रार्थी को मिथ्या विवादन के जरिये परेशान करना शुरू कर दिया।

4. यह कि प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि विपक्षी सं. 1 ने बिना प्रार्थी की सहमति एवं अनुमति से इस भूमि को विक्रय करने का प्रयास शुरू कर दिया है तथा इसी अग्रेषण में विगत एक माह से कई भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग इस भूमि की तरफ खरीद की नियत से आते जाते रहते हैं। जबकि विपक्षी सं. 1 को कतई यह अधिकार नहीं है कि वे बिना प्रार्थी की सहमति एवं अनुमति के यह भूमि किसी को विक्रय करे क्योंकि इस भूमि का एक मात्र स्वामी वर्तमान में प्रार्थी हैं।

5. यह कि प्रार्थी इस भूमि पर कृषि कार्य करता रहा है इसी दौरान विपक्षी सं. 1 तथा उसके अभिकर्ता प्रार्थी को इस भूमि से चले जाने एवं विक्रय कर देने की धमकी दी गई जब प्रार्थी ने विपक्षी सं. 1 के इस कृत्य पर आपत्ति उठाई तो विपक्षी सं. 1 प्रार्थी को मिथ्या विवादन में फसां देने एवं जेल की हवा खिलाने की धमकी अपने अभिकर्ताओ के माध्यम से देने लगी जबकि विपक्षी सं. 1 को बिना किसी अधिकार के अथावा बिना प्रार्थी की स्वीकृति व आज्ञा के इस भूमि को विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। यह कि उक्त भूमि प्रार्थी की स्वअर्जित भूमि है जिसे प्रार्थी के खाते एवं हक की

भूमि घोषित कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है अथवा विपक्षी सं. 1 इसका पुनः विक्रय कर देगी जिससे वाद बाहुल्य बढेगा तथा प्रार्थी अपनी स्वअर्जित आय से क्रय की गई खातेदारी की भूमि से वंचित हो जावेगा।

6. यह कि वादग्रस्त भूमि को विपक्षी किसी भी तरीके से प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने हेतु आमादा है जबकि विपक्षी सं. 1 को वादग्रस्त भूमि को किसी भी तरह से हस्तान्तरित करने का या खुर्द–बुर्द करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं। इसलिए विपक्षी के विरूद्व शाश्वत निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक हो गया है कि विपक्षी सं. 1 या उनके प्रतिनिधि वादग्रस्त भूमि को किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से हस्तान्तरित नहीं करे तथा प्रार्थी को वाद में वर्णित भूमि पर काश्त करने देवे।
7. यह कि प्रार्थी जो कि उक्त खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में ही हैं। साथ ही सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में ही है, क्योंकि यदि प्रार्थी को उपरोक्त खातेदारी भूमि से बेदखल कर उसकी स्वअर्जित आय से क्रय की गई जमीन को विपक्षी सं. 1 बेचने में कामयाब हो जायेगी तो प्रार्थी को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका नकदी में मूल्यांकन किया जाना सम्भव नहीं रहेगा तथा प्रार्थी के हितों पर भारी विपरित प्रभाव पडेगा।
8. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी की स्वअर्जित आय से क्रय की गई खातेदारी हक की घोषणा करायी जाकर प्रार्थी के नाम अंकित कराये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा विपक्षी को पाबंद किया जावे ि कवे प्रार्थी के हक की कृषि भूमि को खुर्द बुर्द नहीं करे न किसी अन्य व्यक्ति, एजेन्ट व प्रतिनिधि आदि से करावे। साथ ही अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय आप उचित समझे विपक्षी से प्रार्थी को दिलाया जावें।
9. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद झुठे एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य की खारिज होगा और प्रकरण की सुनवाई होकर निर्णय में समय लगने की कोई संभावना नहीं हैं। विजय कुमार पिता मोहनलाल जी खटीक का स्वर्गवास दिनांक 21.07.2012 को हो चुका है तथा प्रतिवादीया/विपक्षीया गायत्री देवी, स्वत्र श्री विजय कुमार की वैधानिक विवाहिता पत्नी हैं। राजस्व ग्राम खेमली तह. मावली की खाता सं. 145/1070 की कृषि भूमि आराजी नम्बर 1675 रकबा 0.12 है, आराजी सं. 1682 रकबा 0.10, आराजी सं. 1683 रकबा 0.05 है तथा आराजी सं. 1684 रकबा 1. 05 है, तथा आराजी सं. 1685 रकबा 0.15 हेक्टर हैं। कुल किता 5 कुल रकबा 3.07 स्थित हैं। उक्त भूमि को प्रतिवादीयां के पति श्री विजय कुमार पिता मोहनलाल जी दायमा खटीक ने विक्रय पत्र दिनांक 23.02.2011 राशि 1,20,000/–रूपयें तथा विक्रय

पत्र दिनांक 07.03.2011 राशि 2,00,000/— रूपयें में खातेदारान गेरीलाल पिता भमरिया चमार, धुला पिता खेमा चमार, हरलाल पिता मोहनलाल खटीक एवं मोहन पिता डालु चमार, कैलाश पिता भग्गा, गुलाबी पत्नी स्व. भग्गा, भबुता, नारायण, लेरकी पिता मोडा, हमेरी पत्नी स्व. मोडा चमार निवासीयान खेमली से खरीद कर विधिवत् रूप से पंजीयन कराया और क्रय राशि प्रतिवादी के पति श्री विजय कुमार ने अपनी स्वअर्जित आय से भुगतान की थी। रजिस्ट्री के पश्चात् उक्त आराजीयात पर विजय कुमार का कब्जा हो, कब्जे काश्त चली आ रही थी एवं उपयोग उपभोग में थी लेकिन विजय कुमार का दिनांक 21.07.2012 को स्वर्गवास हो चुका है। तत्पश्चात् उक्त आराजीयात पर वादीयां का बहैसियत स्व. श्री विजय कुमार की पत्नी होने के नाते आधिपत्य होकर कब्जा हो उपयोग उपभोग है तथा उक्त विवादित आराजीयात स्व. श्री विजय कुमार की खातेदारी में दर्ज हैं। वादी का वादग्रस्त आराजीयात पर कोई स्टेटस नहीं है इसलिए भी वाद खारिज किये जाने योग्य हैं।

10. यह कि प्रार्थी का इस आराजीयात से कोई संबंध व स्वामित्व एवं आधिपत्य नहीं है तथा विक्रय की राशि भी विपक्षी नम्बर 1 के पति विजय कुमार ने चुकायी थी इसलिए प्रार्थी का यह कथन कि उसके द्वारा राशि का भुगतान किया गया है वादी का यह तथ्य निराधार होकर झुठा एवं बेबुनियाद होकर झुठा एवं मनगढन्त है तथा प्रार्थी का उक्त आराजीयात पर कोई आधिपत्य व स्वामित्व नहीं है तथा उक्त आराजीयात से वादी/प्रार्थी का कोई संबंध नहीं हैं।

11. विवादित आराजीयात विजय कुमार के स्वअर्जित सम्पति की है और विजय कुमार ही एक मात्र स्वामित्व आधिपत्य का अधिकारी था तथा उसके स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिवादीयां उक्त आराजीयात की स्वामिनी एवं मालिकाना हक से मालिक हैं। किन्तु वादी के मन में बदयान्ती आ जाने से षडयन्त्र रच कर उक्त आराजीयात को हडपने के लिए बिना किसी आधार पर झूठा वाद न्यायालय आप में पेश किया है। बाकी तथ्य वादी के निराधार मनगढन्त एवं झूठे होने से अस्वीकार हैं।

12. यह कि विपक्षी सं. 1 उक्त विवादित आराजीयात की कानूनी तौर पर स्वामिनी व अधिकारीणीय है तथा विजय कुमार के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त आराजीयात को न्यायिक प्रक्रिया से अपने नाम पर कराने की अधिकारणीय हैं। प्रार्थी का इस आराजीयात से कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा प्रार्थी किसी भी प्रकार से वर्तमान में इस आराजीयात का स्वामी नहीं हैं। प्रार्थी ने मनगढन्त व झुठे तथ्यों का सहारा लेकर विपक्षीयां के हक अधिकारों की विवादित आराजीयात को हडप करने की कुचेस्टा कर झूठा बेबुनियादी प्रार्थना पत्र न्यायालय आप में प्रस्तुत किया हैं। विवादित आराजीयात पर विपक्षी नम्बर 1 का कब्जा हो उपयोग उपभोग व स्वामित्व हैं। उक्त विवादित आराजीयात विजय कुमार की स्वअर्जित आराजीयात है इसलिए प्रार्थी को उक्त भूमि को

अपने नाम पर घोषित कराये जाने का कोई औचित्य एवं अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी ने झूठे तथ्यों का सहारा लेकर मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। विपक्षी नम्बर 1 विवादित आराजीयात पर मालिकाना हक से काबिज हो उपयोग उपभोग कर रही है विवादित आराजीयात पर विपक्षी सं. 1 का कब्जा है। इसलिए प्रार्थी को इस आराजीयात पर किसी भी प्रकार का हक अधिकार नहीं होने से विपक्षी नम्बर 1 के अधिकारों के मुकाबले प्रार्थी को कोई हक अधिकार नहीं हैं।

13. वादग्रस्त भूमि पर विपक्षीयां नम्बर 1 का कब्जा हो उपयोग उपभोग है एवं वादी बिना किसी ठोस आधार के व बिना किसी हक अधिकार के प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्व शाश्वत निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं है तथा विवादित आराजीयात पर वादी का कब्जा उपयोग उपभोग नहीं है तथा कोई मालिकाना हक भी नहीं होने से वादीयां/प्रार्थीयां के कब्जे में दखलन्दाजी करने का वादी/प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए विपक्षी सं. 1 को शाश्वत निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं कराया जा सकता हैं।

14. यह कि मामला प्रथम दृष्टया विपक्षी सं. 1 के पक्ष में होकर सुविधा संतुलन भी प्रतिवादी/विपक्षी सं. 1 के पक्ष में हैं। इसलिए विपक्षी सं. 1 को किसी भी प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता हैं। अतः प्रार्थना है कि जवाब प्रार्थना पत्र विपक्षी सं. 1 स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

15. पत्रावली में विपक्षी सं. 1 द्वारा अनुपस्थित रहने पर दिनांक 26.07.2019 को इनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में विपक्षी सं. 3 द्वारा एक अन्य प्रकरण धारा 212 के तहत् प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण सं. 232/14 अनवान कंकुदेवी बनाम मोहनलाल होकर उक्त प्रकरण को दिनांक 06.03.17 से इस पत्रावली के साथ कन्सोलिडेट किये जाने के आदेश होने से उक्त प्रकरण की कार्यवाही इस प्रकरण के साथ जारी रखी गई।

16. विपक्षी सं. 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी को वाद पत्र में सफलता मिलने की कोई सम्भावना नहीं हैं। प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि क्रय करने हेतु एक भी रूपया खर्च नहीं किया गया ना ही भूमि के ईन्च मात्र पर ही प्रार्थी का कब्जा ही है प्रार्थी ने सारे कथन मिथ्या अंकित किये हैं। वास्तविकता यह है कि उपरोक्त कृषि भूमिया विपक्षी सं. 3 द्वारा अपनी स्वअर्जित जमा पुंजी व अपने सोने, चांदी के स्त्रीधन, जैवर रहन रख रूपयों की व्यवस्था करके अपने पुत्र श्री विजय कुमार के नाम दिनांक 23.02.2011 एवं दिनांक 07.03.2011 को दो पृथक–पृथक पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय की गई क्योंकि विपक्षी सं. 3 का ज्यादा स्नेह एवं लगाव पुत्र विजय कुमार से था इसलिए उपरोक्त भूमि का पंजीयन विजय कुमार के नाम से करवाया गया तद्नुसार विपक्षी सं.

3 पुत्र विजय सिंह के खातेदारी में उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई। विपक्षी सं. 3 प्रारम्भ से ही आज तक वादग्रस्त भूमि का उपयोग उपभोग करती आ रही हैं।

17. यह कि स्व. विजय कुमार ने वादग्रस्त भूमि का कोई हिस्सा अथवा हित प्रार्थी को सिपुर्द नहीं किया अपितु यह विपक्षी सं. 3 के पुत्र श्री विजय कुमार लम्बे समय से शुगर की बीमारी से पीडित होकर उसका दिनांक 21.07.2012 को आकस्मिक देहावसान हो गया हैं। मृतक के लाऔलाद फौत हो जाने से विपक्षी सं. 3 के अलावा अन्य कोई कानूनी वारिस नहीं है तथा विधि अनुसार एकमात्र हक आधिपत्यधारी एवं उत्तराधिकारी विपक्षी सं. 3 स्वयं हैं। प्रार्थी मृतक विजय के पिता है तथा विपक्षी सं. 1 गांव गोसुण्डा की निवासी होकर स्वयं को मृतक विजय की नातायत पत्नी बताकर वादग्रस्त भूमि हथियाने हेतु षडयंत्र करते हुए निरन्तर प्रयासरत हैं। प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 कभी भी वादग्रस्त भूमि पर नहीं आये न ही मृतक विजय की सेवा सुषसा व देखभाल ही की। विपक्षी सं. 1 अपने माता–पिता के साथ गोसुण्डा में निवास करती हैं। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की स्व अर्जित होने एवं विजय कुमार द्वारा भूमि प्रार्थी की बताया जाना अस्वीकार है।

18. यह कि वास्तव में हाल ही में विपक्षी सं. 1 व प्रार्थी आपस में दुरूभी सन्धी करके वादग्रस्त भूमि को विपक्षी सं. 3 से हथियाने के इरादे से भूमि पर अपना–अपना हक जताते हुए विपक्षी सं. 3 को भूमि से बेदखल कर जबरन भूमि पर कब्जा करने एवं भूमि को खुर्द–बुर्द करने की धमकीया देना प्रारम्भ किया जिसका प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 को कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 भूमि को जबरन हथियाने हेतु निरन्तर नये–नये षडयंत्र रचने पर आमादा है तथा किसी भी हाल में विपक्षी सं. 3 को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने हेतु प्रयासरत हैं जबकि वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं हैं। वादग्रस्त आराजीयात की भूमि विपक्षी सं. 3 के द्वारा दिये आर्थिक सहयोग से विपक्षी सं. 3 के पुत्र विजय कुमार के नाम क्रय की गई थी तथा विधि अनुसार भी विपक्षी सं. 3 के पुत्र विजय कुमार देहावसान के पश्चात् विपक्षी सं. 3 के एकमात्र स्वामित्व एवं आधिपत्य में मौजुद है तथा हिन्दु विधि के अनुरूप वादग्रस्त भूमि की एकमात्र स्वामिनी विपक्षी सं. 3 है जिसकी घोषणा कराने का विपक्षी सं. 3 को पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। विपक्षीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हित निहित नहीं हैं। जिसके लिए विपक्षी सं. 3 द्वारा पृथक से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आप श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

19. यह कि प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 आये दिन वादग्रस्त भूमि को विपक्षी सं. 3 से छीनकर आपस में मिलकर कब्जा करना चाहते है व भूमि से विपक्षी सं. 3 को बेदखल करने की धमकियां देते है तथा आये दिन भूमि दलालों के माध्यम से भूमि को खुर्द बुर्द करने को आमादा हैं। जबकि प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 को उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में न तो प्रवेश करने का अधिकार है न ही विपक्षी सं. 3 के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा

उत्पन्न करने का अधिकार ही प्राप्त है। विपक्षी सं. 3 जब अपने वादग्रस्त खेत पर काम कर रही थी तब दिनांक 11.12.2014 को प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर आया तथा भूमि से बाहर जाने की धमकी दी तब विपक्षी सं. 3 ने दिनांक 12.12.2014 को वादग्रस्त भूमि की खाता नकल लेकर नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवाने हेतु पटवार मण्डल खेमली में गई तो पटवारी साहब से खाता लेने पर मालुम हुआ कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 ने आपस में साठ गाठ करके विपक्षी सं. 3 के परोक्ष में एक वाद पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है तथा विपक्षी सं. 3 के परोक्ष में वादग्रस्त भूमि हडपने हेतु प्रयासरत हैं। जिस पर विपक्षी सं. 3 ने प्रार्थी से उपरोक्त तथाकथित वाद की जानकारी चाही तो प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 ने विपक्षी सं. 3 को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने एवं भूमि हथिया लेने की धमकी दी जिसके विरूद्व आप न्यायालय के समक्ष पृथक से वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि लम्बित हैं।

20. यह कि वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं हैं जिससे प्रार्थी किसी भी प्रकार की घोषणा कराये जाने का अधिकारी नहीं हैं। विपक्षी सं. 3 द्वारा पृथक वाद आप श्रीमान् के समक्ष घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है जो वादांकित अनुतोष विपक्षी सं. 3 प्राप्त करने की अधिकारीणी हैं। अतः निवेदन है कि प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश फरमावें ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।

21. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 3 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए विपक्षी सं. 3 के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का निवेदन किया।

22. हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में खातेदार श्री विजय कुमार पिता मोहनलाल के नाम पर दर्ज हैं जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। विजयकुमार की मृत्यु दिनांक 21.07.2012 को हो चुकी हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि को खातेदार विजय कुमार द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 23.02.2011 को क्रय की हैं। प्रार्थी सं. 1 खातेदार विजयकुमार का पिता हैं। विपक्षी सं. 1 विजयकुमार की पत्नी

हैं। विपक्षी सं. 3 विजय कुमार की माता हैं। प्रार्थी व विपक्षी सं. 3 अपने अपने पैसों से विजयकुमार के मार्फत भूमि क्रय करने का दावा कर रहे हैं। चूंकि खातेदार विजयकुमार की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसों में प्रथम दायद के रूप में विपक्षी सं. 1 व 3 का ही हक निहित हैं। प्रार्थी प्रथम दायद के वारिसों की श्रेणी में नहीं आता हैं। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता हैं। विपक्षी सं. 3 प्रथम दायद की वारिस होने से प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी सं. 3 के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्व एवं विपक्षी सं. 3 के पक्ष में उसके हिस्से तक निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में मृतक विजयकुमार खातेदार हैं। प्रार्थी खातेदार नहीं है एवं न ही मृतक विजय कुमार के प्रथम दायद का वारिस हैं। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्व व विपक्षी सं. 3 के पक्ष मे उसके हिस्से तक निर्णित हुआ हैं। इसलिए सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी विरूद्व व विपक्षी सं. 3 के पक्ष में उसके हिस्से तक निर्णित किया जाता हैं।
3. *अपूरणीय क्षति*– चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार मृतक विजय कुमार हैं। प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा चाहता है, जबकि विपक्षी सं. 1 व 3 मृतक विजयकुमार के प्रथम दायद के वारिस हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु प्रार्थी के विरूद्व व विपक्षी सं. 3 के पक्ष में उसके हिस्से तक निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व व विपक्षी सं. 3 के पक्ष में उसके हिस्से तक निर्णित किया जाता है।

23. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध घोषणा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में मृतक विजयकुमार के नाम खातेदारी हक से दर्ज हैं। विपक्षी सं. 1 मृतक खातेदार की पत्नी, विपक्षी सं. 3 मृतक खातेदार की माता हैं जो कि प्रथम दायद की वारिस हैं। प्रार्थी मृतक खातेदार विजयकुमार का पिता हैं जो कि विजयकुमार के द्वितीय श्रेणी के दायद का वारिस हैं। प्रार्थी व विपक्षी सं. 3 दोनो ही अपनी दी हुई राशि से विजयकुमार द्वारा जमीन खरीदने का दावा कर रहे हैं। जमीन विजयकुमार द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी गई है जो कि पत्रावली में संलग्न विक्रय पत्र से स्पष्ट भी होता हैं। रहा प्रश्न विजयकुमार द्वारा अपनी जमीन को किसके पैसों से खरीदी जाने का तथ्य यह एक साक्ष्य का विषय हैं, जो मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से ही तय किये जा सकता हैं। प्रार्थी द्वारा भूमि को अपने नाम दर्ज कराने की दाद चाही गई हैं। जो कि मूल वाद में तय कर दिया जायेगा। मृतक खातेदार विजय कुमार के प्रथम दायद के वारिसों में विपक्षी सं. 1 व 3 ही शामिल हैं। प्रार्थी प्रथम दायद के वारिसों की श्रेणी में नही होकर द्वितीय दायद की श्रेणी में आता हैं। विजयकुमार की

पत्नी जो कि विपक्षी सं. 1 हैं। इस तथ्य को प्रार्थी द्वारा भी स्वीकार किया हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व व विपक्षी सं. 3 के पक्ष में उसके हिस्से तक निर्णित हुवे हैं। विपक्षी सं. 3 भूमि में प्रथम दायद की वारिस होने से केवल उसके हिस्से तक का हक रखती हैं जो कि मूल वाद में साक्ष्य सबूत से तय किया जावेगा। प्रथम दायद के वारिस होते हुए द्वितीय दायद के वारिस का अधिकार वर्तमान में प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता हैं। यदि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो विपक्षीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। विपक्षी सं. 3 जो कि प्रथम दायद के वारिस हैं, उनकी प्रार्थना प्रथम दृष्टया स्वीकार की जा सकती है क्योंकि विपक्षी सं. 3 का मृतक खातेदार विजयकुमार की भूमि में प्रथम दायद की वारिस होने से हक निहित हैं। ऐसी स्थिति में यदि विपक्षी सं. 3 के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो विपक्षी सं. 3 को भारी असुविधा का सामना करना पड सकता हैं। इसलिए विपक्षी सं. 3 के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के अनुरूप हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर विपक्षी सं. 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं एवं विपक्षी सं. 3 का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (प्रकरण सं. 232/14) का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेमली पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 1682, 1683, 1684, 1685 किता 4 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि में विपक्षी सं. 3 कंकुबाई पत्नी मोहनलाल के हिस्से तक की भूमि में राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाए रखें। निर्णय की एक प्रति पत्रावली सं. 232/14 के साथ संलग्न रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.01.28 16:37:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: